पत्रावली पर वकील प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र

13.1.17 अन्तर्गत 7(11) CPC पर बहस करते हुए वकील प्रतिवादी

ने निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद में आराजी पर

आवागमन हेतु रास्ता चाहा है। अपनी कृषि आराजी

पर रास्ता चाहना सुखाधिकार है जिसकी सुनवाई

राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होकर सिविल

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का मामला है। अतः वादी

का वाद खारिज फरमाया जावे।

वकील वादी द्वारा प्रार्थना

पत्र के जवाब में पेश कथनानुसार निवेदन किया कि वादीगण

खातेदार काश्तकार हैं। उन्हें अपनी कृषि आराजी पर

आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता है अन्य कोई रास्ता

नहीं होने से नजदीकी खसरों से रास्ता लेने का अधिकार है।

ऐसे प्रकरणों को सुनने का इस न्यायालय को पूर्णाधिकार है

अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली

का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी वकील का यह कथन सही

है कि सुखाधिकार का प्रश्न तय करने का अधिकार सिविल

न्यायालय को है इसका आशय यह है कि सुखाधिकार की

स्थापना का श्रवण सिविल न्यायालय करेगा अर्थात- वादी।

प्रार्थी को कोई सुखाधिकार नये सिरे से मिलेगा या नहीं यह

सिविल न्यायालय तय करेगा। इससे सुखाधिकारों में उत्पन्न

अड़चनों या बाधाओं को हटाने तथा कृषि आराजीयात में

नवीन रास्ता कायम करने जैसे प्रकरण सुनने में राजस्व न्याया

लयों का श्रवणाधिकार निर्बाध है। लिहाजा प्रतिवादी वकील

का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

फिर भी वादी द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र

में पेश रास्ता चाहने का कथन वादपत्र की इबारत से मेल नहीं

खाता है। जहाँ जवाब प्रार्थना पत्र में वादीपक्ष रास्ता दिलाने की

बात करता है वहीं वादपत्र में रास्ता में रुकावट नहीं डालने की

बात करता है। वादपत्र के शीर्षक में धारा 251 LR Act लिख

कर रास्ते से अवरोध हटाने की माँग अनुतोष में है इस धारा के

अन्तर्गत ऐसे प्रकरण तहसीलदार द्वारा सुने जाते हैं। वादपत्र के

अनुतोष में जिन खसरों में स्थायी निषेधाज्ञा चाही है वे वादीपक्ष

के खाते के नहीं हैं।

उक्त विवेचन के आलोक में प्रारंभतः मामला वादी की

प्रार्थना एवं स्थापित विधि से असंगत होने से खारिज योग्य है।

अतः प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल

शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner